

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-377) अलेसे-1/ 3382-3387 दिनांक:- 04/04/2024

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.2 (क)(K-377) अलेसे-1/1309-1315 दिनांक 06.10.2023 द्वारा श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल (लिंग नं. 4190), हाल सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, को कार्यालय मुख्य अभियन्ता, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के कारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दिनांक 25.05.2022 से 30.06.2022 तक (पद रिक्त दिनांक 25.05.2022 से अधिकतम 06 माह तक) स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया गया था।

उक्त दोहरा कार्य की अवधि 60 दिवस से कम होने के कारण नियमानुसार उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश में अंकित शब्द "स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत कार्यभत्ता" के स्थान पर "स्वयं के वेतन का 1 प्रतिशत कार्यभत्ता" पढ़ा जावे, किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-377) अलेसे-1/3382-3387 दिनांक:- 04/04/2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक, एनसीसी निदेशालय, जयपुर।
3. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, तत्कालीन कार्यालय एनसीसी निदेशालय, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)